

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 20.08.2025

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा देह व्यापार का खुलासा करते हुए संचालक सहित 03

अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.08.2025 को महूघाट चौराहे के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित एक मकान में अनैतिक देह व्यापार संचालित किए जाने के संबंध में मुखबिर खास की सूचना पर मौके पर पहुँच कर मकान पर दबिश के दौरान मकान के गेट पर उपस्थित युवक 1-राहुल यादव पुत्र रामशंकर यादव निवासी थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती मिला जिसके द्वारा बताया गया कि उक्त मकान अनिल वर्मा का है जिसके लिए रुपये 20,000/- प्रतिमाह किराया देकर देह व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है | मकान के भीतर तलाशी के दौरान दो अलग-अलग कमरों से युवक-युवतियां आपत्तिजनक दशा में पाए गए | थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही/ पूछताछ के दौरान 2- मुकेश शर्मा पुत्र रामविलास 3- मिथुन गौतम पुत्र रामकुमार मिले जहां से A-कुल दो मोबाइल व रुपये 1,170/- नगद, B- महिलाओं के कपड़े आदि अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया गया एवं जिनके द्वारा स्वीकार किया कि **मकान का वास्तविक संचालन 1-राहुल यादव** द्वारा किया जाता है जोकि बाहर से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 200/- से 2000/- रुपये तक लेकर महीने का कुल 50-60 हजार रुपये अनैतिक व्यापार से कमाता है ।

थाना स्थानीय पुलिस द्वारा **देह व्यापार में संलिप्त 03 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-** राहुल यादव पुत्र रामशंकर यादव, **2-** मुकेश शर्मा पुत्र रामविलास, **3-** मिथुन गौतम पुत्र रामकुमार को दिनांक-19.08.2025 को समय करीब 23:45 बजे गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मु0अ0सं0 220/2025 धारा-3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार चालान कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- राहुल यादव पुत्र रामशंकर यादव उम्र 25 वर्ष निवासी थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती |
- 2- मुकेश शर्मा पुत्र रामविलास उम्र 24 वर्ष निवासी थाना छपिया जनपद गोण्डा |
- 3- मिथुन गौतम पुत्र रामकुमार उम्र 20 वर्ष निवासी थाना नवाबगंज जनपद बहराइच |

बरामदगी का विवरण-

- A- कुल दो मोबाइल व रुपये 1,170/- नगद |
- B- महिलाओं के कपड़े आदि अन्य आपत्तिजनक सामग्री |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- क्षेत्राधिकारी हरैया संजय सिंह जनपद बस्ती |
- 2- प्रभारी निरीक्षक हरैया तहसीलदार सिंह जनपद बस्ती |
- 3- उ०नि० रुदल बहादुर सिंह थाना हरैया जनपद बस्ती |
- 4- हे०का० वरुण राय, हे०का० सौरभ त्रिपाठी, का० योगेश यादव, का० पवन यादव, का० राकेश यादव, का० अमर मणि त्रिपाठी, म०का० वन्दना यादव, म०का० अंशु मिश्रा थाना हरैया जनपद बस्ती |

